

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)
Case No. 20/8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Name and address of the Complainant.
311311
2 \\\
Name and address of the Complainant. V/ S 21143 2216
Name , parentage, caste and address of accused
211/2 2014 8/0 Floor 2010 10 +1101-142
भनाये एवं समझाये जाने पर अधियुवत ने रवेच्छापूर्वक जुन / अपराप्त
किया।
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 1.9 /0.2/ 2018 मुकाम
मेंद्रा विचटा चीश्रहा नालगपुरपर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 28 विवाद स्वीटर / पाव / बोतल शराब विकथ / परिव्रहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारिल किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो
कर कर महाम संस्था । कर कर महाम संस्था
STYLE TO THE PARTY OF THE PARTY
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

9 87m

//निर्णय//

(आज दिनांक ...07./03/2018 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझायें जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
 - 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
 - 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की घारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अविध तक की संजा एवं रूपये 1000/अद्भों में 24 8513 3415 रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 विचार का साधारण कारावास की संजा भुगतायी जावे।
 - 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 28 अवाद्य भीटर/पाव/बोतल द्विया शराब शराब प्राचित एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अविध पश्चात् नियमानुसार की नावे। अपील अविध सामाठ अपील न्यायालय के आदेश का

* 9 ,